

रैंडमाईजेशन एंड रयिल टाइम इन्स्पैक्शन साफ्टवेयर (ड्रग वगि)

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनलि वजि ने खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किये गए ड्रग लाईसेंस हतिधारकों की संस्थाओं के नरीक्षण को करने हेतु रैंडमाईजेशन एंड रयिल टाइम इन्स्पैक्शन साफ्टवेयर (ड्रग वगि) की शुरुआत की है।

प्रमुख बडि

- इस साफ्टवेयर को लांच करने वाला हरियाणा देशभर में पहला राज्य है। इस साफ्टवेयर को पायलट आधार पर पंचकूला ज़िला में लागू कया जाएगा तथा इसके उपरांत राज्य के अन्य ज़िलों में लागू कया जाएगा।
- इस साफ्टवेयर की शुरुआत प्रथम चरण में ड्रग वगि के लयि की गई है तथा द्वतीय चरण में फुड वगि को शामिल कया जाएगा। नरीक्षण के लयि अधिकारी के मोबाइल ऐप पर रैंडम लाईसेंसधारी यूनटि के नाम जाएंगे।
- इस साफ्टवेयर के माध्यम से ड्रग कंटरोल अधिकारी को रैंडम तरीके से ड्रग यूनटि के नरीक्षण हेतु डयूटी दी जाएगी तथा महीने के अनुसार इन अधिकारियों को नरीक्षण का लक्ष्य भी दया जाएगा, जो ऑनलाइन होगा। ऐसी सभी ड्रग यूनटि का नरीक्षण ऑनलाइन और रयिल टाइम होगा।
- इसमें अधिकारियों को जीयो टेगि और लोकेशन भी साझा करनी होगी तथा तुरंत उसी समय अपनी नरीक्षण रिपोर्ट लाईसेंसगि प्राधिकरण और उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन सौपनी होगी। नरीक्षण के लयि संबंधति अधिकारियों को कंटरोलगि अधिकारियों से मंजूरी भी लेनी होगी।
- वदिति है कवर्तमान में राज्य में 32581 खुदरा एवं थोक ड्रग लाईसेंसधारक हैं।